क्रमांक 359/17 रतनराम / जसाराम

6.2.18 वकील वादी व प्रतिवादी के [illegible]
पेशी होकर पत्रावली अदालत मिसल 24.4.18
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

24.4.18 वकील वादी व प्रतिवादी के [illegible]
पेशी होकर पत्रावली अदालत मिसल
6.6.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

6/6/18 पत्रावली आज न्याय [illegible] द्वार शिविर [illegible]
में पेश हुई। [illegible] वकीलनामा पेश नहीं
किया। [illegible] 11.9.18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता
(प्रभारी अधिकारी पं.स. मेड़ता)

06/07/18 वकील वादी व वादी के सूचना-पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई वादी ने निवेदन किया गया है कि लोक अदालत की मध्यस्थता से राजीनामा होना है वाद को चलाना नहीं चाहते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादी के हस्ताक्षर हैं वादी की पहचान वकील वादी ने की है अतः वादी का वाद जोरा खिड़ाव आदि पक्षकार Chandsafe किया जाता है। जिससे पेशी समाप्त हो कर दाखिल दफ्तर हो।

अमिरतराम

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner